



न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल, ग्वालियर, कैप- भोपाल

फॉर्म ६५३४/२०१४/हरदा/भूक्ति

राजस्व पुनरीक्षण याचिका क्रं :-

पी.बी.आर./ 2017-18 ग्राम धौलपुर कलां
तह0 रहठगांव, जिला हरदा

प्रस्तुत दिनांक :-

26/ 12 /18

याचिकाकर्ता :-

जनार्दन आ0 भगवंतराव गढे, निवासी गाँधी चौक, टिमरनी
विरुद्ध

उल्तरवादी/अपीलार्थीगण :- 1

श्रीमती शोभना उर्फ माधवी, पुत्री श्री सखाराम गोडबोले,
द्वारा श्री धर्मराज मधुसूदन गोडबोले, निवासी 47/2, शैलेंद्र
नगर, दहिसर, पूर्वी मुंबई 400068

2 सचिन आ0 श्री कमलाकर शिंत्रे (नाती श्री सखाराम),
द्वारा श्री संतोष सखाराम गढे, निवासी 64, लोकमान्य
नगर, इंदौर

3 शिरीश आ0 सखाराम गढे, निवासी वार्ड कं 5, टिमरनी,
जिला हरदा

4 प्रेमनारायण किरार, आ0 श्री परसराम किरार, निवासी
धौलपुरकलां, तह0 टिमरनी, जिला हरदा

पुनरीक्षण याचिका ओर से याचिकाकर्ता अंतर्गत धारा 50 म0 प्र0 भू रा0 संहिता

उपरोक्त याचिकाकर्ता न्यायालय श्रीमान आयुक्त महोदय, नर्मदापुरम
संभाग, होशंगाबाद द्वारा राजस्व अपील प्रकरण क्रं 23/अपील/वर्ष 18-19 में पारित
आलोच्य आदेश दि0 1/11/18 की अनियमितता एवं अवैधानिकता से क्षुद्ध होकर यह
याचिका प्रस्तुत की जा रही है।

याचिका के तथ्य


- 1 यह कि, अपीलार्थी एवं उसके परिवार के सदस्यों सहभूमिखामियों नागेश, शशिकांत एवं
सीमा के नाम पर ग्राम धौलपुरकलां की भूमि खसरा कं 243/1 रकबा 1.354 हे0 अर्थात
लगभग 3.34 ए भूमि राजस्व अभिलेखों में भूमिखामी अधिकार में दर्ज चली आ रही है।
जिस पर यह याचिकाकर्ता सभी सहभूमिखामियों की ओर से भूमि का कृषिकरण, व्यवस्थापन
करता चला आ रहा है। अन्य सहभूमिखामियों द्वारा याचिकाकर्ता को उनकी ओर से कार्य
करने वेत सम्भालतामा भी दिग्गज रुपां त्रै. अन्य

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ
भाग-अ

प्रकरण क्रमांक-6534/2018/हरदा/भू0रा0

जनार्दन विरुद्ध शोभना उर्फ माधवी आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
27-02-2019	<p>आवेदक अभिभाषक श्री दिलीप मिश्रा उपस्थित। उन्हें ग्राहयता के बिन्दु पर सुना गया।</p> <p>2/ प्रकरण का अवलोकन किया। आवेदक द्वारा यह निगरानी आयुक्त नर्मदापुरम संभाग होशंगाबाद के प्रकरण क्रमांक 23/अप्रैल/2018-19 में पारित अंतिम दिनांक 01-11-2018 के विरुद्ध इस न्यायालय में दिनांक 26-12-2018 को प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-9-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50(2)(ख) के अन्तर्गत द्वितीय अप्रैल में पारित आदेश के विरुद्ध इस न्यायालय को निगरानी प्रकरण में सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं होने से निगरानी अग्राह्य की जाती है।</p> <p>पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।</p> <p></p> <p>(आरक्ष0 जैन) सदस्य</p> <p>27-2-2019</p>	